रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2009/कार्तिक 20, 1931
No. 643] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2009/KARTIKA 20, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली...10 नवम्बर , 2009

सा.का.नि. 807(अ) केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** (**1972** का **53**) की धारा **63** की उपधारा (**1**) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चिड़ियाघर मान्यता नियम **1992** का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(**1**) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता नियम, **2009** है ।

(**2**) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभा-ाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) ''अधिनियम'' से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) ''केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 38क के अधीन गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) ''प्रजनन संरक्षण केन्द्र'' से वन्य जीव की संकटग्रस्त प्रजाति के प्रजनन संरक्षण संबंधी योजना को विशे-ा रूप से समर्पित प्रसुविधा अभिप्रेत है ;

(घ) ''बाड़ा'' से चिड़ियाघर के पशुओं के लिए उपलब्ध किया गया कोई आवास अभिप्रेत है ;

(ङ) ''बाड़ा अवरोध'' से किसी पशु को बाड़े के भीतर रोकने के लिए बनाया गया अवरोध अभिप्रेत है ;

(च) ''संकटग्रस्त प्रजाति'' से अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में सम्मिलित प्रजातियां अभिप्रेत है ;

(छ) ''गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति'' से ऐसी संकटग्रस्त प्रजाति अभिप्रेत है जिनकी देश के सभी चिड़ियाघरों में एक साथ कुल संख्या 200 से अधिक नहीं रखी हुई है ;

(ज) ''प्ररूप'' से इन नियमों में संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है ;

(झ) ''तमाशाई कार्य'' से कोई ऐसा प्रयास अभिप्रेत है जिसके द्वारा सरकस के करतब दिखाने सहित अस्वाभाविक कार्य करने के लिए पशु को बाध्य किया जाता है ;

(ञ) ''बचाव केन्द्र'' से अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दि-ट पशुओं की लंबी अवधि की देखभाल करने के लिए कोई स्थापन अभिप्रेत है ;

(ट) ''स्टैण्ड आफ बैरियर'' से वह भौतिक अवरोध अभिप्रेत है जो बाड़ा अवरोध के बाहरी किनारे से पीछे बनाया गया हो ;

(ठ) ''चिड़ियाघर निदेशक'' से चिड़ियाघर का भार साधक, उसे चाहे किसी नाम से अभिहित किया गया हो जो चिडियाघर के दिन प्रतिदिन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, अभिप्रेत है ;

(ड) " चिड़ियाघर संचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका चिड़ियाघर के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो परंतु ;

(I) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में उसका कोई एक भागीदार अथवा कोई एक सदस्य ; अथवा

(II) किसी कंपनी की दशा में चिड़ियाघर के कार्यों के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति उत्तरदायी किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी ; अथवा

(III) केन्द्रीय सकार अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिक कोई न्यास या सोसाइटी सरकार की दशा में, यथास्थिति, उस सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के संबद्ध विभाग के सचिव को चिड़ियाघर संचालक समझा जाएगा ।

3. मान्यता के लिए आवेदन पत्र

(1) किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने के लिए अधिनियम की धारा 38ज के अधीन आवेदन प्ररूप 'I' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

(2) किसी नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 38ज की उपधारा (1क) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए कोई आवेदन, ब्यौरेवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्ररूप क में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

4. आवेदन के लिए शुल्क

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के लिए दस हजार रुपए की फीस का संदाय डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली" के पक्ष में किया जाएगा

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उसमें दिए जाने वाले बयौरे

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 4 के अधीन विनिर्दि-ट फीस संलग्न की जाएगी और प्ररूप 'I' में विनिर्दि-ट मामलों के बारे में दस्तावेज और विवरण भी अंतर्वि-ट किए जाएंगे ।

6. पूछ-ताछ करने और जानकारी मंगाने की शक्तियां

अधिनियम की धारा 38ज के अधीन चिड़ियाघर को मान्यता देने से पूर्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ऐसी पूछताछ कर सकेगा और आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की मांग कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. मान्यता का स्वरूप--(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, चिड़ियाघर में पर्याप्त प्रसुविधा और मानकों के संबंध में समाधान होने पर ऐसे चिड़ियाघर को मान्यता दे सकेगा ।

(2) किसी चिड़ियाघर को दी गई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्

(क) जब तक स्थाई आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तब तक मान्यता एक व-र्ा से अन्यून की ऐसी अवधि के लिए होगी जैसी मान्यता में विनिर्दि-ट की जाए ।

(ख) चिड़ियाघर ऐसे मानकों और मानदंडों के अनुपालन करेगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन विनिर्दि-ट या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं ; और

(ग) चिड़ियाघर समय-समय पर चिड़ियाघर की देखभाल और रखरखाव के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ।

8. मान्यता का नवीकरण---(1) इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिड़ियाघर,मान्यता की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व प्ररूप 'I' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को आवेदन भेजेगा ।

(2) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6, और नियम 7 के उपबंध, मान्यता के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार मान्यता देने के संबंध में लागू होते हैं सिवाय इसके कि मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में संदेय फीस पांच हजार रुपए देने होंगे ।

9.चिड़ियाघरों का वर्गीकरण

(1) चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए मानकों और मानदंडो के निर्धारण और चिड़ियाघरों के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, चिड़ियाघरों को उनके क्षेत्र, दर्शकों की संख्या, प्रजातियों और पशुओं संख्या, संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके संग्रहण में संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं की संख्या

को ध्यान में रखा जाएगा और चिड़ियाघर को तदनुसार सारणी में विनिर्दि-ट निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :

क्रम सं0	चिड़ियाघर की श्रेणी	श्रेणी में अर्हित होने के लिए मानदंड					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		चिड़ियाघर का क्षेत्रफल (है. में)	प्रतिव-ार्दशकों की संख्यां (लाखों में)	प्रजातियों की संख्यां	पशुओं की संख्यां	संकटग्रस्त प्रजातियां की संख्यां	संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं की संख्यां
1.	बड़ा	75	7.5	75	750	20	100
2.	मध्यम	35	3.5	35	350	10	50
3.	छोटे	10	1.0	10	100	3	15
4.	लघु	10 से कम	1.00 से कम	10 से कम	100 से कम	---	---

(2) चिड़ियाघर जो कि किन्ही चार पूर्वोक्त मानदंडों को (किंतु प्रजातियों और पशुओं की संख्या सहित) पूरा करता हो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

परंतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उस आदेश में पशु चिकित्सक और पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारिवृंद के नियोजन सहित चिड़ियाघर के क्षेत्रफल, हाउसिंग, देखरेख और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के संबंध में अधिकथित की गई हों, संकटग्रस्त प्रजातियों को रखने के लिए लघु चिड़ियाघर को अनुज्ञात कर सकेगा ।

10. मान्यता के लिए मानक और संनियम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के हितों पर विचार करने तथा इस बात पर समाधान हो जाने पर कि ऐसे चिड़ियाघर द्वारा अनुसूची में विनिर्दि-ट मानक और मानदंड तथा अन्य बातों को पूरा कर दिया गया है, चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करेगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे चिड़ियाघर को, जिन्होंने पूर्व में काफी सुधार दर्शित किया है और जिनके

पास युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर विहित मानकों और संनियमों का अनुपालन करने का सामर्थ्य और संसाधन हैं और जो ऐसा करने के इच्छुक हैं, शर्तों यदि कोई हो, के साथ मान्यता प्रदान कर सकेगा । इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप चिड़ियाघरों में गुणात्मक सुधार होगा और चिड़ियाघरों के उनकी विद्यमान स्थिति के आधार पर बंद किए जाने के कारण उद्‌भूत होने वाली संभारतंत्र संबंधी समस्याओं से बचा जा सकेगा ।

11. अभिलेख रखना और सूची भेजना

(**1**) प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप में और रीति में अपने संकलन में प्रत्येक प्रजाति के पशुओं के जन्म, प्राप्ति, मृत्यु और निपटान का अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय व-र्ा के लिए उपरोक्त वर्णित विवरणों के साथ प्रत्येक चिड़ियाघर में संग्रहीत पशुओं की सूची, प्ररुप II में, आगामी व-र्ा की अप्रेल की **30** तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

परंतु अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में अंतवर्लित प्रजातियों के पशुओं से संबंधित विवरण के साथ शवपरीक्षा रिपार्टो के आधार पर मृत्यु के कारणों की पहचान करने वाले विवरण, उक्त त्रैमासिक के समाप्ति के **15** दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक त्रैमासिक को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

(**2**) प्रत्येक चिड़ियाघर, प्रत्येक वित्तीय व-र्ा के लिए अपने क्रियाकलाप और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध शर्तो के अनुपालन की एक वार्-िक रिपोर्ट व-र्ा के जून की **30** तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

अनुसूची

(नियम 10 देखें)

1. साधारण अपेक्षाएं .....

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, वन्य जीवन संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वस्थ्य स्वरूप पशुओं को प्रदर्शित करके दर्शकों को विश्वसनीय संरक्षण संदेश संसूचित करने के हेतुक को बढ़ावा देने के लिए भौतिक रूप से, आनुवांशिक रूप से और व्यवहार में स्वस्थ्य पशुओं की जनसंख्या स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर, उचित भूदृश्य-निर्माण करके और समुचित प्रजातियों के पौधों को लगाकर चिड़ियाघर के भीतर एक प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे कि दर्शक प्रकृति के साथ संपर्क और प्रकृति के साथ मिलकर जीने के लिए उत्प्रेरित होने में समर्थ हो सके ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, ऐसी रीति में चिड़ियाघर में दर्शकों के संचलन को विनियमित करने का प्रयास करेगा, जिससे चिड़ियाघर के पशु असम्यक् रूप से परेशान, तनावग्रस्त या उत्तेजित न हो और चिड़ियाघर को सप्ताह में कम से कम एक दिन दर्शकों के लिए बंद रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों की अविनियमित पहुंच और चिड़ियाघर के पशुओं को क्षति, उनकी चोरी और परभक्षण के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी मानकों के अनुसार चिड़ियाघर की सीमा के साथ-साथ समुचित रूप से अवरोध तैयार करेगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर को, जो मानवीय भूदृश्य से घिरा है, दोनों ओर से भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची पेरीमीटर दीवार से घेरा जाएगा ।

(6) चिड़ियाघर परिसरों के भीतर किसी आवासीय कालोनी का संनिर्माण नहीं किया जाएगा ।

परंतु जहां ऐसी कालोनियां पहले से विद्यमान है, वहां उन्हें चिड़ियाघर परिसर से एक सीमा दीवार से पृथक् किया जाएगा जो भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची होगी । आवासीय कालोनी का प्रवेश चिड़ियाघर परिसरों के माध्यम से नहीं होगा ।

(7) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने प्रचालन को ऐसी रीति में करेगा जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम दबाव पड़े और जिससे न्यूनतम मात्रा में ठोस अपशि-ट और बहिःस्राव उत्पन्न हो और चिड़ियाघर ऐसी रीति में जो न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव डाले, बहिःस्राव और ठोस अपशि-ट में कमी करके, उनका पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण करके तथा व्ययन करके प्रभावी अपशि-ट प्रबंध व्यवहारों को स्थापित करने के लिए भी प्रयास करेगा ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर, दर्शकों के समक्ष बीमार, चोटिल, निःशक्त और रस्सी से बंधे पशुओं का प्रदर्शन से विरत रहेगा और ऐसे पशुओं को समुचित देखभाल और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए विशे-ा रूप से उद्धि-ट गैर-प्रदर्शन सुविधाओं में रखा जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर परिसरों के भीतर घरेलू पशुओं और पालतु पशुओं को रखने से बचेगा और घरेलू गाय-भैंसों, आवारा पशुओं और पालतु पशुओं के चिड़ियाघर परिसरों में प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय भी स्थापित किए जाएंगे ।

2. प्रशासनिक और कर्मचारिवृंद संबंधी पैटर्न

(1) चिड़ियाघर प्रचालक, समुचित रैंक वाले किसी अधिकारी को चिड़ियाघर के 'पूर्णकालिक प्रभारी' के रूप में तैनात करेंगे जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी को चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तथा चिड़ियाघर का योजनाबद्ध रीति से प्रबंध करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, नीचे सारणी में यथाविनिर्दि-ट अनुसंधान और दर्शक शिक्षा के लिए, चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी को पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	कर्मचारिवृंद का प्रवर्ग	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	लघु चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संग्रहपाल	1	1	1	लघु चिड़ियाघर, स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त रूप से अर्हित व्यि-टियों की सहायता प्राप्त करेंगे ।
2.	पशु चिकित्सक	2	1	1	
3.	शिक्षा अधिकारी	1	1	1	
4.	जीव-विज्ञानी	1	1		

(3) उस दशा में जब वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों में उनकी पदोन्नति के लिए नमनीय अनुपूरक स्कीम के फायदे सहित कैरियर प्रगति के लिए उपबंध होगा ।

3. विकास और योजना

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, एक मास्टर योजना तैयार करेगा और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएगा ।

(2) ऐसे चिड़ियाघर, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रचालन कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक व-र्ा के भीतर अपनी मास्टर योजना तैयार करेंगे और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएंगे ।

(3) उप पैरा (1) और उप पैरा (2) में निर्दि-ट मास्टर योजना में, अन्य बातों के साथ, 20 व-र्ा की अवधि के लिए चिड़ियाघर के सकल विकास की योजना सम्मिलित होगी, जिसे चिड़ियाघर द्वारा अपनाई गई थीम के आधार पर तैयार की गई एक ब्यौरेवार कार्य योजना के साथ प्रत्येक दस व-र्ा में

पुनरीक्षित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हरित पट्टी, लॉन, बगीचे, पशु प्रदर्शन क्षेत्र, दर्शकों के लिए प्रसुविधाओं, पशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थनकारी अवसंरचना, प्रशासनिक और अनुरक्षण इकाई के लिए भवनों के लिए अवस्थान उपदर्शित किए जाएंगे ।

(4) चिड़ियाघर के लिए उद्दि-ट क्षेत्र के कम से कम 30% क्षेत्र को हरित पट्टी के अधीन रखा जाएगा और प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशुओं के रहने का क्षेत्र, चिड़ियाघर के क्षेत्र के 30% से अधिक नहीं होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर, सभी पक्के भवनों, जिनके अंतर्गत चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए सुविधाएं भी हैं, ऐसी रीति में अवस्थित करने और डिजाइन तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरतेगा जिससे कि चिड़ियाघर का प्राकृतिक भू-दृश्य और पशु बाड़ों को ढका नहीं जाए और चिड़ियाघर की सफाई और स्वच्छता प्रभावित न हो ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के परामर्श से एक संग्रहण योजना तैयार करेगा जिसमें चिड़ियाघर में रखे जाने वाले पशुओं की प्रत्येक प्रजाति का नाम और प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की अधिकतम संख्या को उपदर्शित किया जाएगा, और इसे प्रजातियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अवस्थान की जलवायु संबंधी परिस्थितियों की अनुकूलता, प्रजातियों की उचित देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए स्थान और अवसंरचनात्मक समर्थन की उपलब्धता, चिड़ियाघर की प्रजातियों की प्राकृतिक आवास रेंज से निकटता और चिड़ियाघर का प्रजातियों के प्रबंध और प्रजनन में पूर्व अभिलेख को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा तथा कोई भी चिड़ियाघर अपने संग्रहण में नई प्रजातियों या प्रजातियों के अतिरिक्त पशुओं को रखने के लिए पशुओं को रखे जाने तथा उनकी देखभाल संबंधी मानकों से समझौता नहीं करेगा ।

(7) कोई भी चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे पशु के लिए बाड़े और देखभाल प्रसुविधाओं और साथ ही करंतीन अवधि के दौरान उसे एकांत में रखने के लिए प्रसुविधाओं को समुचित रूप से तैयार न कर लिया हो ।

(8) जब कभी कोई चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को अपने यहां रखने जाने के लिए स्वीकार करने का विनिश्चय करता है, ऐसे स्त्रोत, जिससे वह पशु प्राप्त हुआ है, इसके अर्जन की वैधता और चिड़ियाघर में पशु को रखे जाने, देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेजी जाएगी :

परंतु उस दशा में, जहां कोई बचाया गया पशु किसी संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, वहां रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी ।

(9) प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए संस्थापक पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए किसी विशि-ट चिड़ियाघर में किसी पशु को भेजे जाने के संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का विनिश्चय संबंधित चिड़ियाघर पर आबद्धकर होगा ।

4. पशु आवास, पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं के बाड़े

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं को प्रकृति को अंतर्निहित करने वाले बाडों में उपदर्शित करने का प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक बाड़े के डिजाइन और आकार को प्रजाति के जैव व्यवहार और उसमें रखे जाने वाले पशुओं की संख्या को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि बाड़ा पशु, पशु की देखभाल करने वाले व्यक्तियों और दर्शकों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित है और उसमें पशुओं के स्वतंत्र विचरण, व्यायाम और प्राकृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित स्थान है ।

(4) समूह या झुंड में प्रबल पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) कोई भी चिड़ियाघर किसी पशु को ऐसे बाड़े में प्रदर्शित नहीं करेगा, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार नहीं है ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार पशुओं की प्रजाति विनिर्दि-ट व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाड़े की परिस्थितियों को अधिकाधिक अनुकूल बनाने के लिए विशे-ा प्रयास करेगा ।

(7) साथ लगे बाड़ों के बीच पर्याप्त ओट उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि पशु इन बाड़ों में रखे गए अन्य पशुओं को देखकर असम्यक् रूप से उत्तेजित या तनावग्रस्त न हो ।

(8) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कोई नया बाड़ा संनिर्मित नहीं किया जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों के आवागमन को विनियमित करने के लिए प्रत्येक पशु प्रदर्शन बाड़े में समुचित रूप से तैयार किए गए और प्रभावी बड़े व्यवधान ऐसी रीति में उपलब्ध कराएगा, जो दर्शकों को पशुओं के आस-पास या निकट पहुंचे बिना और उन्हें पशुओं को भौतिक रूप से स्पर्श करने या उन्हें उत्तेजित करने का अवसर दिए बिना वन्य जीवों का आबाधित दृश्य प्रस्तुत करे और प्रत्येक चिड़ियाघर ऐसे पर्याप्त सूचना-पट भी प्रदर्शित करेगा जो दर्शकों को पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दें ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक प्रदर्शन बाड़े में वन्य जीवन की प्रजातियों के जीव-विज्ञान व्यवहार और जनसंख्या संबंधी प्रास्थिति की सुसंगत जानकारी वाले उपयुक्त सूचना-पट उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह कि बडे और मध्यम आकार के चिड़ियाघर, बाड़े में प्रदर्शित प्रजातियों के व्यवहार और जीव-विज्ञान को स्प-ट करने के प्रयोजन के लिए परस्पर क्रियाशील निर्वचन प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे ।

5. पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में सामाजिक और व्यवहार में जीवनक्षम समूहों में पशुओं को रखेगा और उनकी देखभाल करेगा । किसी भी पशु को तब तक उसके समूह से अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना पशु या समूह के अन्य पशुओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक न हो :

परंतु यह कि इस प्रकार पृथक् किए गए पशुओं को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में रखे सभी पशुओं को समय पर ऐसी गुणवत्ता वाले खाद्य का, जो ऐसी संरचना और ऐसी मात्रा में होगा कि प्रत्येक पशु की पो-ाणीय और व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति हो, प्रदाय किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएंगे कि कोई भी पशु इस आधार पर अपोि-त न हो कि कोई अन्य प्रबल पशु उन्हें भोजन में उनके अंश को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और चिड़ियाघर प्रचालक चिड़ियाघर में विद्यमान सभी पशुओं को पूरा समय पेयजल का प्रदाय सुनिश्चित करेगा ।

(3) पशुओं को खाद्य के वितरण का समय, खाद्य को रखने का स्थान और खाद्य के वितरण की पद्धति को ऐसी रीति में विनियमित किया जाएगा कि पशुओं को आहार लेने संबंधी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और कौशल तथा व्यवहार को अभिव्यक्त करने के अधिकतम अवसर प्राप्त हों ।

(4) जंगली पशुओं, उन्मुक्त रूप से घूमने वाले जंगली पशुओं और मुरदारखोर पशुओं द्वारा चिड़ियाघर के पशुओं का भोजन खाने के लिए सुरक्षोपाय के रूप में प्रत्येक पशु को इस प्रयोजन के लिए विशे-ा रूप से उद्दि-ट भोजन प्रको-ठों/करालों में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे भोजन प्रको-ठों और करालों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वे कड़ी मौसमी परिस्थितियों में और साथ ही रात्रि के दौरान सुरक्षित निवास के रूप में पशुओं के लिए आंतरिक बाडों का प्रयोजन भी सिद्ध कर सकें :

परंतु भोजन प्रको-ठों और कराल का आकार और डिजाइन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि बचा हुआ खाना, पशुओं का मल और अन्य सभी अपशि-टों को तुरंत ही भोजन प्रको-ठों और करालों से हटाया जाता है और भोजन प्रको-ठों तथा करालों की धुलाई की जाती है और उन्हें प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के अनुसार कीटाणु मुक्त किया जाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस और तरल

अपशि-ट को ऐसी रीति में व्यनीत किया जाएगा, जिसका चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के आस-पास के भू-दृश्य की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(6) संग्रहाध्यक्ष और पशु चिकित्सक कर्मचारिवृंद, चिड़ियाघर के पशुओं के साधारण व्यवहार और स्वास्थ्य पैरामीटरों पर कड़ी निगरानी रखेंगे । पशुओं का केवल ऐसे कर्मचारिवृंद द्वारा ही रखरखाव किया जाएगा, जिनके पास विशि-ट पशुओं के रखरखाव में अनुभव और प्रशिक्षण है ।

(7) ऐसे किसी पशु का, जो उदासीनता, कम भूख का लगना, चोट या असामान्य व्यवहार दर्शित करता है, पूर्णरुपेण विश्ले-ाण किया जाएगा और उसे तुरंत ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार और चिड़ियाघर प्रशासन के निदेशों के अनुसार चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर पशु की, चिड़ियाघर द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से तैयार की गई लिखित अनुसूची के अनुसार परजीवियों के लिए जांच की जाएगी और चिकित्सीय अपेक्षाओं के अनुसार उसे रोग-निरोधी औ-ाधियां दी जाएगी और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित अनुसूची के अनुसार संक्रामक रोगों के प्रति उनका टीकाकरण भी किया जाएगा ।

(9) चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल में अंतर्वलित सभी कर्मचारिवृंद की प्रत्येक व-र्ा में एक बार चिड़ियाघर वि-ायक रोगों के लिए जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जिनमें संक्रामक रोगों के लक्षण पाए जाते हैं, तब तक उचित उपचार प्रदान किया जाएगा जब तक कि वे ठीक न हो जाए और संक्रमण से पूरी तरह मुक्त न हो जाए तथा ऐसे उपचार की अवधि के दौरान संक्रमित कर्मचारियों को उनके पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल के उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाएगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशु के जैव और सामाजिक व्यवहार तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति के, जिनके अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार भोजन की मात्रा, देखभाल करने वाले व्यक्ति की डायरी में यथा उपदर्शित उपलब्ध कराई गई औ-ाधि और उपचार, दैनिक रिपोर्टें, पशु का परिचर्या पत्र तथा उपचार पत्र भी हैं, संप्रेक्षणों के ब्यौरेवार अभिलेख रखे जाएंगे ।

6. पशु चिकित्सा और अवसंरचना सुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर , --

(क) के पास चिड़ियाघर में पशुओं के आकार और उनकी किस्मों के संग्रह से संगत पशु चिकित्सा सुविधाएं होंगी ;

(ख) के पास एक पूर्णरुपेण पशु चिकित्सा इकाई होगी, जो सभी आधारिक नैदानिक प्रसुविधाओं, औ-धियों की व्यापक श्रेणी शल्य चिकित्सा केंद्र और अंतःरोगी वार्ड से युक्त होगी ;

(ग) परंतु लघु चिड़ियाघर में कम से कम एक उपचार कक्ष की प्रसुविधा होगी ।

(2) कोई भी चिड़ियाघर तब तक किसी आधुनिक और मंहगे नैदानिक उपस्करों का अर्जन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास उनके प्रचालन और उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी रूप से अर्हित जनशक्ति न हो ।

(3) लघु चिड़ियाघर को छोड़कर प्रत्येक चिड़ियाघर में शव-विच्छेदन कक्ष, एकांत वार्ड, करंतीन वार्ड, पशु निरोधी और प्रशान्तक उपस्कर और एक पशु चिकित्सा देखभाल निर्देश पुस्तकालय होगा ।

(4) किसी भी पशु की प्रशान्ति, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों का अनुपालन करते हुए की जाएगी ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, प्रत्येक चिड़ियाघर में नीचे सारणी में विनिर्दि-ट पशु चिकित्सा समर्थनकारी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	समर्थनकारी कर्मचारिवृंद	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	-
2.	स्टाक मेन या कपाउंडर	2	1	1

परंतु किसी लघु चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और भोजन के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के उद्देश्यों से वन्य जीव स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात संस्थाओं और संगठनों से संपर्क रखेगा :

(क) गंभीर प्रकृति के रोगों के वैज्ञानिक निदान में सहायता और प्रभावी चिकित्सा उपचार संबंधी सलाह ;

(ख) चिड़ियाघर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण और उनकी तकनीकी कौशल का उन्नयन करने ; और

(ग) निवारक ओ-धियों और टीकाकरण के लिए नयाचार विकसित करने ।

7. पशुओं की लाशों का शव परीक्षण और निपटान

(1) चिड़ियाघर में मरने वाले प्रत्येक पशु की मृत्यु के कारण को निश्चायक रूप से अवधारित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक द्वारा विस्तृत शव परीक्षण किया जाएगा ।

(2) उप पैरा (1) में निर्दि-ट शव परीक्षण के नि-क-र्ा, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा यथाविहित प्ररूप में अभिलेख होगा और इस संबंध में उसको छह व-र्ा से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा ।

(3) शव परीक्षण के अनिश्चायक होने की दशा में और मृत्यु के किसी विशे-ा कारण का नहीं पता चलने पर चिड़ियाघर प्राधिकरण, उत्तकों और अंगों, रक्त, आन्तरांग आदि के नमूने को आगे

और परीक्षा के लिए ऐसी अर्हताप्राप्त नैदानिक प्रयोगशाला को भेजा जाएगा, जिसके पास आगे और अन्वे-ाण के लिए और मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए पर्याप्त विशे-ाज्ञता है ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं के शवों को, उनके शव परीक्षण किए जाने के पश्चात्, दफन करके या ऐसी रीति में जलाकर व्यनित किया जाता है, जिससे चिड़ियाघर की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े :

परंतु बड़ी बिल्लियों के शवों को चिड़ियाघर के निदेशक या उससे अगली पंक्ति के और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए, किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर व्यनित किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे पशुओं के शवों को, जिनकी मृत्यु एन्थ्रेक्स या ऐसे किन्हीं अन्य संक्रामक रोगों के कारण हुई है, नहीं खोला जाएगा और रोगों के फैलने के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में शव परीक्षण किया जाएगा । उनको उसी रूप में दफना दिया जाएगा ।

8. पशुओं के लिए सुखमृत्यु

(1) चिड़ियाघर के किसी भी पशु को तब तक सुख मृत्यु प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा करना अन्य पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न हो अथवा ऐसा पशु को अनावश्यक पीड़ा या क-ट से मुक्त कराने के लिए आवश्यक न हो और जब कभी ऐसी अत्यावश्यकताएं सामने आती हैं, तब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

9. पशुओं का अर्जन और प्रजनन

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को ऐसे लिंग अनुपात में रखने और उसे बनाए रखने का प्रयास करेगा, जो प्रजनन को अनुकूल बनाए और प्रत्येक प्रजाति की स्व-पो-ाणीय जनसंख्या विकसित करने में सहायता करे ।

(2) चिड़ियाघर की जनसंख्या में अंतःप्रजनन के बुरे प्रभावों के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में, चिड़ियाघर, अन्य चिड़ियाघरों से आदान-प्रदान, उधार पर लेने और उपहार रूप में प्राप्त करने के माध्यम से चिड़ियाघर के स्टॉक में असंबंधित पशुओं को रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(3) कोई भी चिडियाघर तब तक किसी एकल पशु या पशुओं की अनुवांशिक रूप से जीवनक्षम संख्या को अर्जित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अर्जन एकल पशुओं का जोड़ा बनाने या समूह को अनुवांशिक जैविक रूप से जीवनक्षय बनाने के लिए आवश्यक न हो ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए पुर्विकता के आधार पर साथी अर्जित करने के लिए प्रयास करेगा और उस दशा में जहां कोई चिड़ियाघर छह महीने के अवधि के भीतर एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए साथी अर्जित करने में असफल रहता है, बिना जोड़े वाले या एकल पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार किसी अन्य चिड़ियाघर को स्थानांतरित किया जाएगा या उनका आदान-प्रदान किया जाएगा या प्रजनन के लिए उधार रूप में दिया जाएगा ।

(5) एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं के परिवहन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों का अनुपालन किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, अधिमानतः, प्रजातियों की वितरण श्रेणी के लिए निकटतम तकनीकी सक्षमताएं और आवास प्रसुविधाएं रखने वाले पहचान किए गए चिडियाघरों को पहचान की गई अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण संबंधी प्रजनन का उत्तरदायित्व सौंपेगा और प्रत्येक चिड़ियाघर प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पहचान किए गए चिड़ियाघरों की सहायता करेगा ।

(7) प्रजनन जनसंख्या से अधिक के पशुओं को, चिड़ियाघरों में उपलब्ध आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की क्वालिटी के आधार पर प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए अभिदाय करने वाले चिड़ियाघरों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(8) अंतः प्रजनन को रोकने तथा परसंयुग्मकता की हानि की दृ-टि से प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं के पूर्ववृत्त पत्र और वंशावली तथा झुंड पुस्तिका रखेगा तथा समुचित पहचान चिन्ह लगाएगा और अन्य चिड़ियाघरों को स्थानांतरित तथा आदान- प्रदान ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण उनके दीर्घकालिक जीवन के हित पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए, लिंगों को पृथक करने, नसबंदी, टयूबकटोमी और पेलेट का

प्रत्यारोपण आदि करने जैसे समुचित जनसंख्या नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करके चिड़ियाघर की पशु संग्रहण योजना द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर प्रत्येक जाति के पशुओं की संख्या को सीमित करने के लिए प्रयास करेगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के परिसरों से चिड़ियाघर के पशुओं को भागने से रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षोपाय करेगा और दुर्घटनावश किसी पशु के भाग जाने की दशा में भागे हुए पशु की पुनः प्राप्ति के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी ।

(11) कोई भी चिड़ियाघर, किसी बंधक रखे गए पशु को, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार ही जंगल में छोड़ेगा ।

(12) प्रत्येक चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि चिड़ियाघर में प्रजातियों या समान प्रजातियों की जातियों का संकरण न हो ।

10. अनुसंधान क्रियाकलाप -- प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं को जीवन की बेहतर क्वालिटी, दीर्घायु, उच्चतर आनुवंशिक और व्यवहार संबंधी जीवनक्षमता और बेहतर प्रजनन संभावनाएं उपलब्ध कराने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार करने के लिए सहायक अनुसंधान करने के लिए प्रयास करेगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लघु चिड़ियाघरों को छोडकर प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार, चिड़ियाघर में रखी गई प्रजातियों का सामाजिक व्यवहार, समूह सक्रियता और प्रजनन संबंधी जीव विज्ञान पर स्प-ट रूप से डाटा अभिलिखित करने के लिए और अन्य चिड़ियाघरों तथा पहचानी गई संस्थाओं के साथ बांटने करने के लिए एक डाटाबेस विकसित करने की व्यवस्थाएं करेगा ।

11. शिक्षा और पहुंच बनाने संबंधी क्रियाकलाप - (1) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के दर्शकों और साधारण जनता को जनता के साधारण कल्याण के लिए और प्रकृति की जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करेगा और जनता को चिड़ियाघरों द्वारा इस संबंध में निभाई गई भूमिका तथा ऐसे मार्गों और उपायों के

बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रयास करेगा, जिनके माध्यम से साधारण जनता इस उद्देश्य की पूर्ति में भागीदारी कर सके और सहयोग दे सके ।

(2) शैक्षणिक क्रियाकलाप के भागरूप में पशुओं का भौतिक रूप में हैडलिंग या उनके द्वारा कला प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. दर्शकों के लिए प्रसुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर में उचित और सुगम स्थानों पर दर्शकों के लिए पर्याप्त नागरिक प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसमें शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रसुविधाएं सम्मिलित होंगी और ऐसी प्रसुविधाओं को इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि वे बाड़ों के दृश्य को ढक या प्रभावित न करें ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर में प्राथमिक चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनके अंतर्गत सर्प वि-ारोधी और जीवन रक्षक औ-ाधियां सम्मिलित होंगी, जो चिड़ियाघर परिसर में तुरंत उपलब्ध होंगी ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, विभिन्न पशु बाड़ों में वन्य जीवों को देखने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेगा ।

[फा.सं. 5–1/2009–डब्लू. एल. I]

(अनमोल कुमार)

उप महानिरीक्षक (वन्यजीव)

प्ररुप-I

[नियम 3 और 8 देखिए]

धारा 38ज (उपधारा 2) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
एनेक्सी सं0 VI , बीकानेर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110011

हम.....के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज के अधीन मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं । केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में रु. ..... का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्न किया गया है । ..... के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :--

1. चिड़ियाघर का नाम :
2. चिड़ियाघर का अवस्थान और स्त्रोत :
3. स्थापना की तारीख :
4. चिड़ियाघर प्रचालक का नाम और पता :
*5. पिछले तीन व-र्ा (व-र्ा वार) के दौरान चिड़ियाघर के दर्शकों की कुल संख्या :
*6. कैलेन्डर व-र्ा के दौरान, चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोले गए दिन की कुल संख्या :
7. चिड़ियाघर द्वारा प्रदर्शित किए गए पशुओं/प्रजातियों की संख्या :

चालू वित्तीय व-र्ा के दौरान स्टाफ स्थिति			
प्रजातियों की संख्या	पूर्ववर्ती व-र्ा के अंत में स्टाक स्थिति	जन्म/अर्जन/मृत्यु/व्ययन	आवेदन की तारीख को स्टाक
स्तन पापी			
पक्षी			
सरीसृप			
अभयचर			
मछलियां और			
अकशेरुकी			

8. बाड़ो की कुल संख्या :

(i) खुले बाड़ों की संख्या :

(ii) बंद पिंजरे/दड़बों की संख्या :

9. पिछले तीन व-ा के दौरान प्रजनित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची

10. पशु चिकित्सा सुविधाएं :

(क) पूर्णकालिक पशु चिकित्सक उपलब्ध है या नहीं :

(ख) पशु चिकित्सा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं :

1. आपरेशन थिएटर/शल्य कक्ष
2. एक्स-रे सुविधा
3. स्क्वीज पिजरे
4. अंतरंग रोगी बाड़े
5. करंतीन वार्ड और संगरोध वार्ड
6. डिस्पेंसरी
7. पशुचिकित्सा को निर्दि-ट करने वाली लाइब्रेरी
8. पशुओं के बच्चों के लिए नर्सरी
9. रोगविज्ञान प्रयोगशाला
10. प्रशान्तक उपकरण/औ-ाधियां
11. शवपरीक्षा कक्ष

12. क्या चिड़ियाघर में निम्नलिखित सुविधाएं हैं :

(क) रसोई

(ख) खाद्य भंडार

(ग) डीप फ्रिज

(घ) सुवाह्न पेय जल सुविधाएं

(ङ) भोजन वितरण करने का वाहन/रिक्शा आदि

11. सफाई देखरेख और रोग नियंत्रण :

क्या :

(i) पशुओं के लिए प्रदू-ाण मुक्त पेय जल उपलब्ध है ? (ii) बाड़ों में उपयुक्त जल निकासी प्रणालियां हैं ? (iii) कूड़ा-कचरे का निपटान नियमित रूप से किया जाता है ? (iv) कीट और परभक्षियों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम है ? (v) कृमिहरण और टीका लगाने जैसे निवारक उपायों की व्यवस्था की जा रही है ?

12. दर्शकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं :

क्या--

(क) प्रसाधन/स्नानगृह जैसी जन सुविधाएं हैं ?

(ख) पेयजल नलों की संख्या पर्याप्त है ?

(ग) दर्शक सूचना केन्द्र तथा प्रकृति व्याख्या संबंधी केन्द्र है ?

(घ) चिड़ियाघर संबंधी शिक्षा देने की सुविधाएं हैं ?

(ङ) सार्वजनिक टेलीफोन बूथ उपलब्ध हैं ?

(च) चिड़ियाघर में छतरीयां और रेस्तरां उपलब्ध हैं ?

13. दर्शकों के लिए सुरक्षा के उपाय :

क्या--

(क) बाड़ों के चारों और प्रभावी स्टैंड-आफ बैरियर उपलब्ध कराए गए हैं ?

(ख) चेतावनी साइन बोर्ड पर्याप्त संख्यां में हैं ?

(ग) प्राथमिक उपचार उपलब्ध हैं ?

14. पिछले तीन व-र् के लिए चिड़ियाघर का बजट, राजस्व कुल व्यय :

15. वार्-िक रिपोर्ट, मार्गदर्शक पुस्तकें, विवरणियां या कोई अन्य प्रकाशन (प्रतियां संलग्न हैं)

16. चिड़ियाधर का मास्टर प्लान/विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की व्याख्या (प्रति संलग्न है)

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

तारीख :

बचाव केन्द्र और प्रजनन संरक्षण केन्द्र से जानकारी का प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

भाग-ख

वार्षिक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

व-र्ा के लिए सूची रिपोर्ट :

संकटग्रस्त प्रजातियों से भिन्न

क्रम सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	1-4- को आरंभिक स्टाक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			31-3- को अंतिम स्टाक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2. …….																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2. ….																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/उभयचर 1. 2. …..																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरुकी 1. 2. ……																						
कुल अकशेरुकी																						
कुल पशु																						
संग्रहाध्यक्ष (पशु)																			निदेशक			

प्ररुप- II

[नियम 11(1) देखिए]

भाग-क

तिमाही/वार्िक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

तिमाही/व-र्ा के लिए सूची रिपोर्ट

संकटग्रस्त प्रजातियों *

क्रम सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	आरंभिक स्टाक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			..... को अंतिम स्टाक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2.																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2.																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/उभयचर 1. 2.																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरुकी 1. 2.																						
कुल अकशेरुकी																						
कुल पशु																						

* वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची - I और अनुसूची - II के अधीन पशु संग्रहाध्यक्ष (पशु)

निदेशक